भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः †4281

उत्तर देने की तारीख 26 मार्च, 2025 (बुधवार)

05 चैत्र, 1947 (शक)

प्रश्न

पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश बढ़ाने संबंधी योजनाएं

†4281. श्री दिलीप शइकीयाः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या परिवर्तन/प्रभाव देखा जा रहा है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख) उद्योगों को सहायता देने हेतु क्षेत्रीय अवसंरचना का संवर्धन करने, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और क्षेत्र में सुदृढ़ता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 9 मार्च, 2024 को एक नई स्कीम उन्नति (उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण स्कीम) शुरू की गई। उन्नति स्कीम के तहत औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:

i. पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीआईआई)
ii. पूंजी ब्याज अनुदान (सीआईएस)
iii. विनिर्माण और सेवा संबद्ध प्रोत्साहन (एमएसएलआई)

उन्नति स्कीम के तहत स्कीम का कुल बजट परिव्यय 10,037 करोड़ रुपये है। कुल बजट परिव्यय को दो भागों में विभाजित किया गया है - भाग क और भाग ख। 9,737 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्कीम का भाग क पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और पर्याप्त विस्तार से गुजरने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है। 300 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्कीम का भाग ख स्कीम के कार्यान्वयन और संस्थागत व्यवस्था के लिए है। स्कीम के भाग क के परिव्यय का 60% पूर्वोत्तर

क्षेत्र के सभी राज्यों के लिए निर्धारित है। एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक (2021-22) के आधार पर जिलों को दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: क्षेत्र क (औद्योगिक रूप से उन्नत जिले) और क्षेत्र ख (औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले)। स्कीम के तहत अब तक कुल 56 इकाइयों को पंजीयन प्रदान किया किया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश में नवाचार, स्टार्टअप और निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु एक सुदृढ़ ईको-सिस्टम का निर्माण करने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल भी शुरू की। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 31 जनवरी 2025 तक उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 2,109 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और माइक्रो फाइनेंस क्षेत्रों के लिए क्रेडिट पहुंच को सुगम बनाने हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफ़ी) को वार्षिक बजट आवंटन प्रदान कर रहा है, जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) है, जिसे उत्तर पूर्व उद्यम विकास स्कीम (एनईईडीएस) के तहत ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसमें 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए कुल आवंटन 300 करोड़ रुपये है।

(ग) स्टार्टअप इंडिया के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा की गई पहल इस प्रकार है:

i. **एसेंड स्टार्टअप कार्यशाला श्रृंखला और स्टार्टअप के लिए महिला कार्यशालाएं:** सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमियों, आकांक्षी उद्यमियों और छात्रों के लिए स्टार्टअप कार्यशालाओं की एक श्रृंखला - एसेंड (एक्सेलेरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड एंट्रप्रेनेरियल ड्राइव) का आयोजन किया है।
ii. **ज्ञान विनिमय और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं:** डीपीआईआईटी ने राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के बीच अच्छी पद्धतियों के प्रसार और परस्पर सीखने के लिए ज्ञान विनिमय कार्यशालाओं का आयोजन किया।
iii. **स्टार्टअप इंडिया यात्रा पहल:** स्टार्टअप इंडिया ने राज्यों के ग्रामीण और गैर-मेट्रो क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2017 में स्टार्टअप इंडिया यात्रा शुरू की।
iv. **विंग:** डीपीआईआईटी के कार्यक्रम विंग के भाग के रूप में मौजूदा और आकांक्षी महिला उद्यमियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम।
v. **जिला आउटरीच पहल:** डीपीआईआईटी भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम एक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप स्थापित करने का प्रयास करके उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है।

*****